HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 2092/2021

1. Shankar Lal S/o Sitaram, Aged About 59 Years, R/o Gandhipura, Lakheri, Tehsil Indragarh, District Bundi.
2. Murti Bai W/o Late Satnarayan, R/o Gandhipura, Lakheri, Tehsil Indragarh, District Bundi.

----Appellants

Versus

1. Sitaram S/o Deva Ji, R/o Gandhipura, Lakheri, Tehsil Indragarh, District Bundi.
2. Surajmal S/o Sitaram, R/o Gandhipura, Lakheri, Tehsil Indragarh, District Bundi.
3. Ramesh S/o Sitaram, R/o Gandhipura, Lakheri, Tehsil Indragarh, District Bundi.
4. State Of Rajasthan, Through District Collector Bundi (Raj.)
5. Sub-Registrar, Office Of Sub-Registrar, Sub-Tehsil Lakheri, Tehsil Indragarh, District Bundi (Raj.)
6. State Of Rajasthan, Through Tehsildar Indragarh, District Bundi

----Respondents

For Appellant(s) : Mr. Shamsuddin Ansari, Adv.
For Respondent(s) :

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

23/02/2026

आवेदन संख्या 3/25 व 4/25 पर विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

आवेदन संख्या 3/25 अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 व आदेश 22 नियम 9 सी पी सी के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 3 रमेश की

दिनांक 21.06.2025 को मृत्यु हो चुकी है, प्रार्थना पत्र में वर्णित विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लेने का निवेदन किया।

आवेदन संख्या 4/25 धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 3 की मृत्यु होने के उपरांत अपीलार्थी अपने अधिवक्ता से संपर्क नहीं कर पाया और इस कारण से विलंब हुआ है, अतः विलंब माफ किया जावे।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा मुख्य रूप से अपने पिता प्रत्यर्थी संख्या–1 को संपत्ति अंतरित नहीं करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा व अस्थाई निषेधाज्ञा चाही है। प्रत्यर्थी संख्या–3 अपीलार्थी का सगा भाई है, जो एक ही मकान में निवासरत होना बताया है। अपीलार्थी को अपने भाई की मृत्यु की जानकारी प्रारंभ से रही है, भारतीय परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 121 के अनुसार 90 दिन में विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। तत्पश्चात उपशमन स्वतः ही हो जाता है जिसे अपास्त करने हेतु अनुच्छेद 121 के अनुसार 60 दिन में आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है अर्थात पश्चातवर्ती आवेदन मृत्यु दिनांक 21.06.2024 से 150 दिन में प्रस्तुत किया जा सकता था जबकि वर्तमान आवेदन करीब डेढ वर्ष पश्चात प्रस्तुत किया गया है, विलंब का कोई उचित व सद्भाविक कारण नहीं बताया गया है, अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त दोनों आवेदन खारिज किये जाते हैं।

परिणामस्वरूप यह अपील उपशमित रहने से खारिज की जाती है। स्थगन प्रार्थना पत्र व अन्य कोई प्रार्थना पत्र यदि लंबित है तो वे भी उपरोक्तानुसार खारिज खारिज किये जाते हैं।

(UMA SHANKER VYAS),J

Murari Lal Sharma /59